

3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या 13/2025 दायर दिनांक 24.01.2025

उनवान

1. राजाराम पुत्र भैरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिड़ावा
 2. कन्हैयालाल पुत्र भैरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिड़ावा
- वादीगण

बनाम

1. कविताबाई पत्नी रमेशचन्द जाति नायक नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. दिनेशचन्द गुप्ता पुत्र बालचन्द गुप्ता जाति महाजन नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जामि कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. संतोषबाई पत्नी कारूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सुनेल तहसील सुनेल

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –

अभिभाषक वादीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन
प्रतिवादी सं. 1 से 4 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 5 – परोकार सरकार



निर्णय

दिनांक 15.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 167 की आराजी कित्ता 2 रकबा 0.3921 हे. खाता संख्या 168 की आराजी ख.नं. 851 रकबा 1.3152 हे. एवं खाता सं. 169 की आराजी ख.नं. 850 रकबा 0.1644 हे. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.09.2025 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के



उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



(2)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काशत के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काशतकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1273 दिनांक 09.10.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण की सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2025 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 167 की आराजी किता 2 रकबा 0.3921 हे. खाता संख्या 168 की आराजी ख.नं. 851 रकबा 1.3152 हे. एवं खाता सं. 169 की आराजी ख.नं. 850 रकबा 0.1644 हे. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र. सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है0	दिशा
1	हेमडा खाता संख्या 167 168 169	कन्हैयालाल पि. भेरूलाल हि. 1/2 जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा राजाराम पि. भेरूलाल हि. 1/2 जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा	852	0.2909	सम्पूर्ण
			853	0.1012	सम्पूर्ण
			850/1	0.0400	उत्तर
			1960/851/1	0.2254	उत्तर
			किता 4	0.6575	
2	हेमडा खाता संख्या 167 168 169	कबिताबाई पत्नि रमेशचन्द हि. 49/312 जाति नायक ब्राहमण नि. हेमडा रहन BRKGB हेमडा रामप्रसाद पि. जगन्नाथ हि. 107/156 जाति कुल्मी नि. हेमडा रहन BOB सुनेल संतोषबाई पत्नि कारूलाल हि. 49/312 जाति कुल्मी नि. हेमडा रहन HDFC झालावाड	1960/851/2	0.8116	
			850/2	0.1244	
			किता 2	0.9360	



उपखण्ड अधिकारी



5

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ सीज 0
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)



फाईनल डिक््री मुकदमा इबादाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 13/2025

दायर दिनांक 24.01.2025

उनवान

1. राजाराम पुत्र भैरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिड़ावा
2. कन्हैयालाल पुत्र भैरूलाल जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिड़ावा

–वादीगण

बनाम

1. कविताबाई पत्नी रमेशचन्द जाति नायक नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. दिनेशचन्द गुप्ता पुत्र बालचन्द गुप्ता जाति महाजन नि. सुनेल तह. सुनेल
3. रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जामि कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. संतोषबाई पत्नी कारूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सुनेल तहसील सुनेल

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –

अभिभाषक वादीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन

प्रतिवादी सं. 1 से 4 – एकतरफा

प्रतिवादी सं. 5 – परोकार सरकार



मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाबिन मुदालयह
हुक्म दिया जाता है व डिक््री दी जाती है कि –

इस न्यायालय के निर्णय व डिक््री दिनांक 08.09.2025 अनुसार
वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम हेमडा
तहसील सुनेल की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्यां 167 की
आराजी किता 2 रकबा 0.3921 हे. खाता संख्या 168 की आराजी ख.नं. 851
रकबा 1.3152 हे. एवं खाता सं. 169 की आराजी ख.नं. 850 रकबा 0.1644 हे.
भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य
निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



क्र. स.	ग्राम	खातेदार का नाम	खतानो	रकबा है०	दिशा
1	हेमडा खाता संख्या 167 168 169	कन्हैयालाल पि. भेरूलाल हि. 1/2	852	0.2909	सम्पूर्ण
		जाति दांगी नि. निपानिया तहसील	853	0.1042	सम्पूर्ण
		पिडावा	850/1	0.0400	उत्तर
		राजाराम पि. भेरूलाल हि. 1/2 जाति दांगी नि. निपानिया तहसील पिडावा	1960/851/1	0.2254	उत्तर
			किता 4	0.6575	
2	हेमडा खाता संख्या 167 168 169	कविताबाई पत्नि रमेशचन्द हि.	1960/851/2	0.8116	
		49/312 जाति नायक ब्राह्मण नि.	850/2	0.1244	
		हेमडा रहन BRKGB हेमडा			
		रामप्रसाद पि. जगन्नाथ हि. 107/158			
			किता 2	0.9360	

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

[Handwritten Signature]

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निजX.....मुवालिफX..... बावत् खर्चा इस मुकदमे के सूद बशारह
.....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा
करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.10.2025 को जारी किया
गया।

[Handwritten Signature]

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बावत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बावत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान



उपखण्ड अधिकारी पिडावा

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)